

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 124] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 13, 1976/फाल्गुन 23, 1897
No. 124] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 13, 1976/PHALGUNA 23, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 13th March 1976

S.O. 192(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 48 of the Defence and Internal Security of India Rules, 1971, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Order No. S.O. 275(E), dated the 26th June, 1975, namely:—

Amendments

In Clause (1) of the said Order—

- (i) in sub-clause (h), the word “or” shall be inserted at the end;
- (ii) after sub-clause (h), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

“(i) the Proclamation, in relation to the State of Gujarat, issued on the 12th day of March, 1976, under article 356 of the Constitution, by the President.”.

By Order and in the name of President.

[No. II/14011/2/75-S&P(DIV)]

C. V. NARASIMHAN, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1976

का० शा० 192(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा नियम, 1971 के नियम 48 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश सं० का० शा० 275(अ), तारीख 26 जून, 1975, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त आदेश के खण्ड (1) में—

- (i) उपखण्ड (ज) में, अन्त में शब्द “अथवा” अन्तःस्थापित किया जाएगा;
- (ii) उपखण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(झ) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में, संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन, राष्ट्रपति द्वारा 1976 की मार्च के 12वें दिन जारी की गई उद्घोषणा से सम्बन्धित हो।”।

राष्ट्रपति के आदेश से और उनके नाम में

[सं० II/14011/2/75-एस एंड पी (डी-IV)]

सो० वी० नरसिम्हन, मयूक्त सचिव ।